तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
२५.११.१७	पत्रावली पेश हुई, वकील अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 उपस्थित। वकील अपीलार्थी ने अपील मे अंकित तथ्यो, दस्तावेजो के आधार पर अपील को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। विवादित इंतकाल नं. 660 निर्णय दिनांक 19.7.1995 का होकर विरासत का इंतकाल है। जो कि ग्राम पंचायत घोड़ास द्वारा फैसल किया गया है। जिस पर मोहर अंकित नही है। ओर वादिया ने बताया कि भूरालाल ब्राह्मण के मृतक की एक मात्र वारिसान हूं। ओर ग्राम पंचायत घोड़ास द्वारा नामान्तरण कोरम मे खोला गया नामान्तरण संख्या 660 दिनांक 19.7.1995 जो गलत होकर अपास्त योग्य है। अत: अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मालपुरा पटवार हल्का पीथास तहसील माण्डल के जमाबंदी संवत 2072-2075 के खाता संख्या 135 मे अंकित खातेदार खातेदारो के साथ वादिया श्रीमती लाली बाई D/o श्री भूरालाल ब्राह्मण को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से लगायत 3, सत्यनारायण, राधेश्याम, गोपाल पिता श्री भूरालाल ब्राह्मण के साथ सहखातेदार घोषित किया जाता है। वादिया का नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	